न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

(2)

अनुमति वाद संख्या :– 403 / 2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जोवाकिम हेमरोम – विक्रेता

घनश्याम कुजूर – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.02.21	**आदेश** आवेदक जोवाकिम हेमरोम पिता स्व0 अलवीस हेमरोम ग्राम–कोसम्बी, पो0–कर्रा, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने घनश्याम कुजूर पिता श्री बिरसा कुजूर ग्राम–सरदुला, पो0–सांगोर, थाना–कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
कोसम्बी	86	01	707	0.20

अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 450 दिनांक 28.06.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर आपत्ति प्राप्त है एवं भूमि विवादित है। अन्त में भूमि बिक्री की अनुशंसा नहीं की गयी है।

उपरोक्त आवेदक स्वंय उपस्थित होकर आवेदित भूमि की बिक्री पर रोक हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के शपथ पत्र सं0 82 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा उक्त वाद को वापस लेने का अनरोध किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा एवं शपथ पत्र के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.09.24 00:43:32 -07:00
Location: 192.168.225.30